



Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

No. 2018/HQ/Admin/RTI-447

New Delhi: 24.10.2018

Shri Harishankar
Village-Na. Bhaju, Post-Kunaitha,
Tehsil-Bharathana,
District-Etawah
UP
Mobile-899457679050

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI application dated 03.10.18 received through DOPT.

Information i. r. o. your above RTI application as received is attached as Annex "A".

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/ Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: skpanda@dfcc.co.in

9717636811

DA: 02 Sheets

Copy to:

Chief Project Manager,
DFCCIL, 3/20, 3rd Floor,
KPS Tower, Mayur Complex,
Nagla Padi, Near Tulsi Cinema,
NH-02, Agra-282 002

For information & Record only



डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

पत्रांक: CNB/EN/RTI/16(A)

Date- 16-10-18

सेवा में,

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
डीएफसीआईआरएल,
दुण्डला (आगरा)

विषय :- श्री हरीशंकर व पुष्पेन्द्र पुत्रगण श्री मुकुट सिंह, नि० ग्राम नगला भजू, पो० कुनैठा, तह०-भरथना, जिला-इटावा उ०प्र० द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- डिटी जी०एम०/एम्पीन/पी०आई०ओ० का पत्रांक सं० 2018 / HQ/ADMIN/RTI-447 Dated 05.10.18

महोदय,

श्री हरीशंकर व पुष्पेन्द्र पुत्रगण श्री मुकुट सिंह, नि० ग्राम नगला भजू, पो० कुनैठा, तह०-भरथना, जिला-इटावा उ०प्र० का दिनांक रहित पत्र डी०जी०एम०/एडमीन (पी०आई०ओ०) का पत्रांक सं० 2018/ HQ/ADMIN/RTI-447 दिनांक 05.10.18 संलग्नक के रूप में प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र जो आपको सम्बोधित है, इस कार्यालय में, ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 08 प्रस्तरों पर सूचना मांगी गई है, जिसके सम्बन्ध में प्रस्तरवार आख्या निम्नलिखित है:-

1. डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (रेल मंत्रालय) भारत सरकार की विशेष पूर्वी मालगाड़ी परियोजना हेतु ग्राम-मोदी, तहसील-भरथना, जिला-इटावा की एलाइमेंट में आने वाली भूमि का अर्जन रेलवे संशोधित अधिनियम 2008 के अन्तर्गत तीन चरणों में किया गया है। जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्रम सं०	भूमि अर्जन चरण	20ए अधिसूचना की सं० व तिथि	20ई अधिसूचना की सं० व तिथि	सबम प्राधिकारी द्वारा घोषित अभिनिर्णय की सं० व तिथि
1.	प्रथम चरण	का०आ० 2450(अ) राजपत्र दिनांक 29.09.2008	का०आ० 1529(अ) राजपत्र दिनांक 19.06.2009	अभिनिर्णय वाद सं० 04/2009-10 दिनांक 15.06.2010
2.	द्वितीय चरण	का०आ० 2751(अ) राजपत्र दिनांक 03.11.2010	का०आ० 1403(अ) राजपत्र दिनांक 07.06.2011	अभिनिर्णय वाद सं० 14/2011-12 दिनांक 26.08.2011
3.	तृतीय चरण	का०आ० 2678(अ) राजपत्र दिनांक 01.11.2012	का०आ० 1461(अ) राजपत्र दिनांक 07.06.2011	अभिनिर्णय वाद सं० 04/2009-10, 14/2011-12, 03/2013-14 दिनांक 24.03.2014

2. मा० आर्बीट्रेटर/आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर के आदेश के अनुपालन में प्रार्थी श्री हरीशंकर पुत्र श्री मुकुट सिंह को प्लॉट के मुआवजे की धनराशि रु-1,73,978.00 डी०डी० सं० 38719475 दिनांक 18.09.2018 के द्वारा तथा पुष्पेन्द्र पुत्र श्री मुकुट सिंह, को प्लॉट के मुआवजे की धनराशि रु-1,72,640.00 डी०डी० सं० 38719476 दिनांक 18.09.2018 के द्वारा भुगतान कर दिया गया है।

Page 1 of 2

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur - 208025

Telefax: 0512-2225124 Mobile 7060803012 E mail - bsjaryal@dfcc.co.in, Website www.dfccil.gov.in

3. ग्राम-मोदी, तह0-भरथना, जिला-इटावा की अधिग्रहीत भूमि का बाजार मूल्य की सूचना उप निबन्धक, भरथना, इटावा से तथा सरकारी मूल्य की सूचना जिला मूल्यांकन सूची, से प्राप्त की जा सकती है। प्रार्थना को किस वर्ष/तिथि की उक्त सूचना अपेक्षित है, इस सम्बन्ध में उनके प्रार्थना पत्र में, कोई उल्लेख नहीं है।
4. डेडीकेटेड फ्रेट कारोडोर की मालगाड़ा परियोजना हेतु ग्राम-मोदी, तह0-भरथना, जिला-इटावा, की अर्जित भूमि के प्रतिकर का भुगतान रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 में प्रावधानित नियमों के अन्तर्गत प्रतिकर का निर्धारण करते हुए रक्षाम प्राधिकारी द्वारा अभिनिर्णय घोषित किया गया है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं है।
5. ग्राम-मोदी, तह0-भरथना, जिला-इटावा, की परियोजना के एलाइमेंट में आने वाली भूमि का अर्जन नये अधिनियम "भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार पुनर्वास अधिनियम, 2013" के अन्तर्गत नहीं किया गया है। यह अधिनियम डी0एफ0सी0सी में 01.01.2015 से लागू हुआ है। उक्त ग्राम की भूमि का अर्जन रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत किया गया है।
6. मा0 न्यायालय आर्बीट्रेटर/आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर के आदेश के अनुपालन में प्रार्थना को उनके आवासीय भूखण्ड के प्रतिकर का विवरण प्रस्तर-2 में उल्लेखित है। वर्ष 2008 में डी0एफ0सी0सी द्वारा अर्जित भूमि की सूचना जनसमाच्य के सूचना हेतु स्थानीय समाचार पत्र अमर उजाला व दैनिक जागरण में दिनांक 07.11.2008 को प्रकाशित कराया गया था।
7. वर्ष 2008 में, नवीन अधिनियम "भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार पुनर्वास अधिनियम, 2013" लागू नहीं था। डी0एफ0सी0सी द्वारा रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत प्रस्तर-1 में उल्लेखित विवरणानुसार ग्राम-मोदी, तह0-भरथना, जिला-इटावा की भूमि का अर्जन किया गया था। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं है।
8. डेडीकेटेड फ्रेट कारोडोर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 (रेल मंत्रालय) भारत सरकार की पूर्वी मालगाड़ा परियोजना जनहित/सामूहिक की महत्वाकांक्षी परियोजना हेतु भूमि की तत्काल आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत भूमि का अर्जन नियमानुसार करते हुए अर्जित भूमि पर भौतिक कब्जा प्राप्त किया गया है। प्रार्थना की प्रभावित भूमि के स्वामित्व निर्धारण के उपरान्त प्रतिकर का भुगतान करने में विलम्ब हुआ है। प्रार्थना के विषयगत प्रार्थना पत्र के प्रस्तर-8 पर मांगी गई आंशिक सूचना डी0एफ0सी0सी से सम्बन्धित नहीं है।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

16/10/2018

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल/कानपुर।